XI अभिशासन, मानव संसाधन और संगठनात्मक प्रबंधन

रिज़र्व बैंक ने अपने मानव संसाधन तथा संगठनात्मक और प्रबंधन चुनौतियों का सामना करने के लिए कदम आगे बढ़ाए हैं और मुख्यत: ऑनलाइन और ई-लर्निंग मोड पर भरोसा करते हुए भर्तियों, और आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान केंद्रित करना बरकरार रखा है। महत्वपूर्ण व्यवसाय प्रक्रियाओं को हासिल करने एवं अपने मानव संसाधन की सुरक्षा एवं उसके स्वास्थ्य के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली में कारोबारी निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए इसने तीव्र एवं व्यापक प्रतिक्रिया दी है। इसने मार्च 2022 के अंत तक अपने 98 प्रतिशत कर्मचारियों का पूरी तरह से टीकाकरण करने के लिए टीकाकरण अभियान चलाया और संक्रमण की तीव्रता को नियंत्रित करने के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करने का मिला-जुला तरीका अपनाया। रिज़र्व बैंक में जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए वर्ष के दौरान कई उपाय किए गए। रिज़र्व बैंक की अभिशासन संरचना ने अभिशासन मानकों को बनाए रखते हुए रिज़र्व बैंक के कामकाज का निरीक्षण किया और बहु-आयामी क्षेत्रों में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया।

XI.1 इस अध्याय में रिज़र्व बैंक के तीन महत्वपूर्ण पहलुओं - अभिशासन, मानव संसाधन प्रबंधन और जोखिम निगरानी के अलावा आंतरिक लेखा परीक्षा, कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट, राजभाषा और परिसर से संबंधित विभागों की गतिविधियों पर चर्चा की गई है। अध्याय प्रमुख गतिविधियों की समीक्षा करता है, वर्ष के प्रारंभ में निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 2021-22 के दौरान उनकी प्राप्ति का मूल्यांकन करता है और 2022-23 के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करता है।

XI.2 वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मानव संसाधन को भर्तियों, आंतरिक तथा बाह्य प्रशिक्षण के माध्यम से सशक्त किया गया। महामारी के प्रतिसाद में, ऑनलाइन और ई-लर्निंग मोड पर बड़े पैमाने पर भरोसा किया गया। रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) और आंचलिक प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) ने महामारी के माहौल में ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारियों को अग्रणी बाह्य संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता से लाभान्वित होने के लिए ऑनलाइन मोड के माध्यम से भारत और विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सेमिनारों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

XI.3 कोविड-19 की अवधि के दौरान रिज़र्व बैंक में महत्वपूर्ण कारोबारी प्रक्रियाओं के सुचारू संचालन हेतु कारोबार की निरंतरता सुनिश्चित करते हुए, रिज़र्व बैंक ने अपने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्य और आउटसोर्स स्टाफ के लिए कोविड-19 टीकाकरण के लिए कार्यालय परिसर के साथ-साथ आवासीय क्वार्टरों में शिविर आयोजित करके अपने मानव संसाधन की सुरक्षा और स्वास्थ्य को भी सुनिश्चित किया। मार्च 2022 के अंत तक, रिज़र्व बैंक के 98 प्रतिशत कर्मचारियों को टीके की दोनों खुराकें दी जा चुकी थीं।

XI.4 2012 में अंगीकृत उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) ढांचे के तहत, सभी पहचाने गए परिचालन क्षेत्रों के लिए रिस्क टॉलरेंस लिमिट (आरटीएल) का रोल-आउट हासिल कर लिया गया है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक में साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी स्तर पर नियंत्रण की प्रभावशीलता के लिए परिपक्वता दर प्रदान करने के लिए संकेतकों का एक व्यापक सेट लागू किया गया है।

XI.5 वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग ने जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के तहत मूल्यांकित जोखिम रेटिंग तथा परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति (रैम-ओआर) के अनुसार निर्धारित जोखिम रेटिंग का लक्षित अभिसरण पूरा किया। रिज़र्व बैंक में विभिन्न परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन की दिशा में प्रभावी आंतरिक नियंत्रण

तंत्र को समृद्ध करने के लिए परियोजना लेखापरीक्षा (प्रोजेक्ट ऑडिट) भी की गई।

XI.6 रिज़र्व बैंक के कारोबारी निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) फ्रेमवर्क का नोडल विभाग होने के नाते कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) महामारी के वर्ष में रिज़र्व बैंक की महत्वपूर्ण प्रणालियों और कारोबारी प्रक्रियाओं के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मानव संसाधन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

XI.7 साथ ही, वर्ष के दौरान राजभाषा विभाग ने भारत सरकार द्वारा जारी राजभाषा के वार्षिक कार्यक्रम को लागू किया है और राजभाषा नीति के तहत विभिन्न संवैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन भी सुनिश्चित किया है। विभाग ने रिज़र्व बैंक में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार हेतु अधिक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए विभिन्न पहलें की हैं, जिनमें विभिन्न गतिविधियों का आयोजन, कार्यक्रमों का आयोजन और प्रशिक्षण प्रदान करना शामिल है।

XI.8 परिसर विभाग ने हरित पहल का अनुसरण करते हुए रिज़र्व बैंक के भौतिक इंफ्रास्टक्चर के निर्माण, रखरखाव और उन्नयन के अपने प्रयास जारी रखे। "हरित पहल" के अंतर्गत रिज़र्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों और आवासीय इमारतों में सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, वर्षा जल संचयन प्रणाली, सीवेज उपचार और अपशिष्ट जल उपचार प्रणालियां स्थापित की गई।

XI.9 इस अध्याय को नौ खंडों में विभाजित किया गया है। खंड 2 में रिज़र्व बैंक के अभिशासन ढांचे से संबंधित गतिविधियों के बारे में बताया गया है। खंड 3 में मानव संसाधन प्रबंध विभाग (एचआरएमडी) द्वारा मानव संसाधन एवं विकास के क्षेत्र में वर्ष के दौरान किए गए प्रयासों का विवरण प्रस्तुत किया गया है। उद्यम व्यापी जोखिम प्रबंधन फ्रेमवर्क से संबंधित गतिविधियां खंड 4 में प्रस्तुत की गई हैं। वर्ष के दौरान निरीक्षण विभाग के कार्य-कलापों की चर्चा खंड 5 में की गई है। रिज़र्व बैंक के लिए कार्यनीतियां और वार्षिक कार्ययोजनाएं बनाने और समन्वय करने वाले कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) का विवरण खंड 6 में दिया गया है। राजभाषा विभाग और परिसर विभाग की गतिविधियों और उपलब्धियों को क्रमशः खंड 7 और 8 में दिया गया है। अंत में अध्याय का निष्कर्ष दिया गया है।

2. अभिशासन संरचना

XI.10 भारतीय रिज़र्व बैक (आरबीआई) अधिनियम, 1934 के अनुसार केंद्रीय निदेशक मंडल को रिज़र्व बैंक के अभिशासन कार्य का दायित्व दिया गया है। इसमें अध्यक्ष के रूप में गवर्नर, उप गवर्नर तथा केंद्र सरकार द्वारा नामित निदेशक शामिल हैं। देश के प्रत्येक हिस्से के लिए उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों हेतु चार स्थानीय बोर्ड हैं, ये केंद्रीय बोर्ड को उनको संदर्भित मामलों के बारे में सलाह देते हैं तथा केंद्रीय बोर्ड द्वारा दिए गए कार्य करते हैं।

XI.11 केंद्रीय बोर्ड की सहायता के लिए तीन समितियां होती हैं: केंद्रीय बोर्ड समिति (सीसीबी), वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस) तथा भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण के लिए बोर्ड (बीपीएसएस)। इन समितियों के अध्यक्ष गवर्नर होते हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बोर्ड में पांच उप समितियां भी होती हैं: लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस), मानव संसाधन प्रबंध समिति (एचआरएम-एससी), भवन उप-समिति (बीएससी) सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी) और कार्यनीति उप-समिति। इन उप समितियों की अध्यक्षता सामान्यतः बाह्य निदेशक ही करते हैं।

केंद्रीय बोर्ड और सीसीबी की बैठकें

XI.12 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की छह बैठकें[1] आयोजित की गईं।

XI.13 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान सीसीबी की 46 बैठकें हुई, जिनमें से 34 ई-बैठकें और 12 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। सीसीबी ने रिज़र्व बैंक के साप्ताहिक मामलों की विवरणियों को अनुमोदित करने के साथ-साथ इसके वर्तमान कारोबार पर भी ध्यान दिया।

XI.14 केंद्रीय बोर्ड की एक स्थायी समिति उन स्थानीय बोर्डों *के स्थान पर* कार्य कर रही है जो गणपूर्ति (कोरम) के अभाव में कार्य करने में असमर्थ हैं। वर्तमान में, स्थायी समिति पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के मामलों को देख रही है। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति का पुनर्गठन 27 मार्च 2021 को दो स्वतंत्र निदेशकों को सदस्यों के रूप में रखकर किया गया था। केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के दौरान दो-दो बैठकें और पश्चिमी क्षेत्र के लिए तीन बैठकें कीं। इसी अवधि के दौरान उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड ने चार बैठकें कीं। केंद्रीय बोर्ड, उसकी समितियों और उप-समितियों, स्थानीय बोर्डों और केंद्रीय बोर्ड की स्थायी समिति की बैठकों में स्थानीय बोर्ड/ बोर्डों के स्थान पर निदेशकों/ सदस्यों की भागीदारी का विवरण अनुबंध सारणी XI.1-5 में दिया गया है।

केंद्रीय बोर्ड/ स्थानीय बोर्ड

XI.15 केंद्र सरकार ने श्री शक्तिकांत दास को भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर के रूप में 10 दिसंबर 2021 से आगे तीन साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए फिर से नियुक्त किया। पुनर्नियुक्ति पर श्री दास ने 11 दिसंबर, 2021 से कार्यभार ग्रहण किया।

XI.16 केंद्र सरकार ने श्री महेश कुमार जैन को 22 जून 2021 से दो साल की अवधि के लिए, या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, 21 जून 2021 को अपने मौजूदा कार्यकाल के पूरा होने पर, भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया। पुनर्नियुक्ति पर श्री जैन ने 22 जून 2021 को पदभार ग्रहण किया।

XI.17 केंद्र सरकार ने श्री देबाशीष पांडा के स्थान पर श्री संजय मल्होत्रा, सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को 16 फरवरी 2022 से और अगले आदेश तक नामित किया।

XI.18 केंद्रीय बोर्ड के निदेशक श्री एन. चंद्रशेखरन का कार्यकाल 3 मार्च 2022 को समाप्त हो गया।

कार्यपालक निदेशक

XI.19 श्री पी. विजय कुमार, कार्यकारी निदेशक 31 मई, 2021 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए और डॉ. एम.के. सगर, कार्यकारी निदेशक 29 अप्रैल, 2022 को अधिवर्षिता पर सेवानिवृत्त हुए। श्री अजय कुमार को 20 अगस्त, 2021 को कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। श्री अजय कुमार चौधरी और श्री दीपक कुमार को 3 जनवरी, 2022 को कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था। डॉ. राजीव रंजन और डॉ. सितिकंठ पट्टनायक को 02 मई, 2022 को कार्यकारी निदेशक के रूप में पदोन्नत किया गया था।

3. मानव संसाधन विकास संबंधी पहल

XI.20 रिज़र्व बैंक के पास संचालन का एक व्यापक दायरा है, जिसमें विविध कौशल और अपने अधिदेश को पूरा करने के लिए आंतरिक क्षमताओं की एक मजबूत व्यवस्था की आवश्यकता होती है। रिज़र्व बैंक में एक कुशल और प्रेरित कार्यबल के निर्माण और रखरखाव के लिए मानव संसाधन प्रबंध विभाग

[1] रिज़र्व बैंक के लिए लेखा वर्ष 2020-21 से बदलकर अप्रैल-मार्च कर दिया गया।

(एचआरएमडी) एक सक्षमकर्ता और एक समन्वयक की भूमिका निभाता है। वर्ष के दौरान, विशेष रूप से महामारी की दूसरी लहर की पृष्ठभूमि में विभाग ने ई-लर्निंग सहित भर्ती और प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखा और स्टाफ के कल्याण को प्राथमिकता दी। इसने व्यापार निरंतरता को भी बनाए रखा। वर्ष के दौरान उपर्युक्त और अन्य क्षेत्रों में की गई प्रमुख गतिविधियों के साथ-साथ 2021-22 के लिए निर्धारित लक्ष्यों के कार्यान्वयन की स्थिति और वर्ष 2022-23 की कार्ययोजना को भी नीचे रेखांकित किया गया है।

2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.21 विभाग ने पिछले वर्ष निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अंतरराष्ट्रीय/ बहु-पक्षीय बैठकों में रिज़र्व बैंक (भारत) के विचारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए डोमेन विशेषज्ञों का एक पूल विकसित करना, जिसमें बैठकों के ज्ञान में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय बैठकों/ सम्मेलनों के लिए एक उपयुक्त उत्तराधिकार योजना शामिल है (उत्कर्ष) [पैराग्राफ XI. 22];
- सभी कार्यनीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए संगठनात्मक संरचना की समीक्षा और पुनर्रचना *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ XI.23];
- अपने प्रशिक्षण और विकास संबंधी प्रयासों पर अधिक ध्यान देने के अपने प्रयासों को जारी रखना। मिश्रित शिक्षा की अवधारणा के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए प्रतिष्ठित विक्रेताओं से प्राप्त ई-लर्निंग सामग्री के साथ रिज़र्व बैंक में एक अध्ययन प्रबंधन प्रणाली शुरू करने की परिकल्पना की गई है (पैराग्राफ XI.24); और
- रिज़र्व बैंक सेवा बोर्ड के परामर्श से किए गए उपयुक्त परिवर्तनों के साथ, विशेष रूप से अधिकारी स्तर पर भर्ती नीतियों की दक्षता बढ़ाने के लिए कदम उठाना (पैराग्राफ XI.25)।

कार्यान्वयन स्थिति

XI.22 अंतरराष्ट्रीय बैठकों/मंचों में रिज़र्व बैंक का प्रतिनिधित्व करने वाले डोमेन विशेषज्ञों का एक व्यापक डेटाबेस अन्य केंद्रीय कार्यालय विभागों (सीओडी) के समन्वय से तैयार किया गया है।

XI.23 संगठनात्मक संरचना की समीक्षा करने और उपयुक्त परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए एक अंतर-विभागीय समिति का गठन किया गया था। समिति की सिफारिशों की अभी जांच की जा रही है।

XI.24 आरबीआई अकादमी के लिए अध्ययन प्रबंधन प्रणाली (एलएमएस) स्थापित की गई है। आगे बढ़ते हुए, इसे प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के साथ साझेदारी में पूरे बैंक में दोहराया जाएगा।

XI.25 ग्रेड 'बी' (सीधी भर्ती) में अधिकारियों की भर्ती के मामले में, प्रतिवर्तन समय को कम करने के लिए एक भर्ती कैलेंडर तैयार किया गया था। इसके अलावा, भर्ती किए गए उम्मीदवारों के समूह की दक्षताओं को व्यापक आधार देने के लिए, वस्तुनिष्ठ भाग के अलावा एक वर्णनात्मक घटक को शामिल करने के लिए परीक्षा के स्वरूप को संशोधित किया गया था। एक साइकोमेट्रिक परीक्षा भी शुरू की गई, जिसके अवलोकन उम्मीदवारों के आकलन के लिए एक अतिरिक्त इनपुट के रूप में काम करते हैं। पार्श्व भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सहायता सेवाओं को संभालने के लिए बाहरी एजेंसियों का एक पैनल स्थापित किया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

आंतरिक प्रशिक्षण

XI.26 रिज़र्व बैंक की प्रशिक्षण अवसंरचना ने कर्मचारियों की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने की दृष्टि से उनके तकनीकी और व्यवहार कौशल के उन्नयन पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों (टीई) और क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (जेडटीसी) द्वारा वर्ष के दौरान कई कार्यक्रम आयोजित किए गए (सारणी XI.1)।

बाह्य संस्थानों में प्रशिक्षण

XI.27 रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारियों को प्रमुख बाहरी संस्थानों में उपलब्ध विशेषज्ञता का लाभ उठाने के लिए

सारणी XI.1: रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आयोजित कार्यक्रम

प्रशिक्षण प्रतिष्ठान	2019-20 (जुलाई-जून)		2020-21 (जुलाई-मार्च) #		2021-22 (अप्रैल-मार्च)	
	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
आरबीआइ अकादमी	21	476 (2)	25	840	18	1,185
सीओएस##	-	-	3	74	43	1,726
आरबीएससी, चेन्नई	110	2,826 (85)	89	3,629 (72)	122	4,267 (325)
सीएबी, पुणे	126	3,891 (37)	183	10,308 (45)	216	13,308 (134)
जेडटीसी (श्रेणीI)	92	1,667	135	3,682	127	3,140
जेडटीसी (श्रेणी III)	94	2,648	104	4,568	109	3,920
जेडटीसी (श्रेणी IV)	30	604	11	417	23	820

आरबीएससी: रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज सीएबी: कृषि बैंकिंग महाविद्यालय

-: लागू नहीं।

#: रिज़र्व बैंक के लेखा वर्ष को 2020-21 से अप्रैल-मार्च में बदलने के साथ, रिज़र्व बैंक के संक्रमण वर्ष की अवधि नौ महीने (जुलाई 2020 - मार्च 2021) की थी।

##: पर्यवेक्षकों का कॉलेज (सीओएस) 22 मई, 2020 को एक आभासी मोड में स्थापित किया गया था और औपचारिक रूप से 5 जनवरी, 2021 से पूर्णकालिक निदेशक के साथ संचालित किया गया था। कॉलेज प्रशासनिक रूप से पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस) से जुड़ा हुआ है और इसमें भारत और दुनिया भर में जानकार, कुशल और सक्रिय पर्यवेक्षकों, नियामकों और विनियमित इकाई कर्मियों के विकास के लिए प्रतिबद्ध एक विश्वस्तरीय, प्रतिष्ठित क्षमता-निर्माण संस्थान बनाने की दृष्टि है।

नोट: कोष्ठक में दिए गए आंकड़े प्रतिभागियों की कुल संख्या में से विदेशी प्रतिभागियों और/या बाहरी संस्थानों के प्रतिभागियों से संबंधित हैं।

स्रोत: आरबीआई।

ऑनलाइन मोड के माध्यम से भारत और विदेशों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए सूचीबद्ध किया (सारणी XI.2)। इसके अलावा, सूचना प्राप्त हुई है कि 295 अधिकारियों ने विदेशी संस्थानों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न समकालीन विषयों पर वेबिनार में भाग लिया।

सारणी XI.2: भारत और विदेश स्थित बाह्य प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षित अधिकारियों की संख्या

वर्ष	भारत में प्रशिक्षित (बाहरी संस्थान)	विदेश में प्रशिक्षित
1	2	3
2019 - 20 (जुलाई-जून)	696	139
2020 - 21 (जुलाई-मार्च)*#	194	258
2021 - 22 (अप्रैल-मार्च)*	326	496

*: *ऑनलाइन मोड*.

#: XI.1 का फुटनोट देखें।

स्रोत: आरबीआई।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

अनुदान और वृत्तिदान

XI.28 बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण और परामर्श को बढ़ावा देने के अपने अभियान के भाग के रूप में, रिज़र्व बैंक ने इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर), मुंबई को ₹16.50 करोड़; उन्नत वित्तीय अनुसंधान और शिक्षा केंद्र (कैफराल), मुंबई को ₹5.10 करोड़; लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (एलएसई) इंडिया ऑब्जर्वेटरी और आईजी पटेल चेयर को ₹0.75 करोड़; भारतीय बैंक प्रबंधन संस्थान (आईआईबीएम), गुवाहाटी को ₹0.65 करोड़ और राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम), पुणे को ₹0.43 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान की।

बॉक्स XI.1
कर्मचारी इंटरफेस और विश्लेषण प्रभाग (ईआईएडी) की स्थापना

बेहतर संचार, बेहतर जुड़ाव और सकारात्मक कर्मचारी अनुभव के लिए कर्मचारियों को एक कुशल इंटरफ़ेस प्रदान करने के लिए कर्मचारियों (कार्यरत और सेवानिवृत्त दोनों) के साथ प्रभावी संपर्क और संचार के चैनल बनाने और स्थापित करने के उद्देश्य से कर्मचारी इंटरफेस और विश्लेषण प्रभाग (ईआईएडी) की स्थापना की गई है। ईआईएडी का व्यापक उद्देश्य कर्मचारी जुड़ाव और प्रेरणा, एचआर इंटरफेस, संगठन संस्कृति और मानव संसाधन तकनीकी समाधानों के क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और नीतियों की खोज और कार्यान्वयन की दिशा में स्थापित है। ईआईएडी एचआर अनुसंधान और डेटा विश्लेषण पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है ताकि रिजर्व बैंक के हित के मामलों से संबंधित एक गहरी समझ विकसित करने और एक संरचित और समाधान-संचालित दृष्टिकोण को लागू किया जा सके।

'श्रवण-उन्मुख' संगठनात्मक संस्कृति के निर्माण के लिए रिज़र्व बैंक के निरंतर प्रयास को देखते हुए, ईआईएडी ने एक नई पहल की है, जिसका शीर्षक है, वॉयस - वॉयसिंग ओपिनियन टू इंस्पायर, कंट्रीब्यूट और एक्सेल। व्यक्तिगत सफलता की कहानियों को साझा करने के माध्यम से कैरियर और आत्म-विकास के अवसरों की पारस्परिक खोज पर ध्यान केंद्रित करते हुए, वॉयस प्लेटफॉर्म एक अनौपचारिक वातावरण में मानव संसाधन कार्मिकों और कर्मचारियों के बीच बातचीत की सुविधा प्रदान करता है।

इस पहल का उद्देश्य 'उत्कर्ष 2022' के तहत परिकल्पित 'नवोन्मेषी, गतिशील और कुशल मानव संसाधन निर्माण' के रिज़र्व बैंक के दृष्टिकोण को गति प्रदान करना है।

स्रोत: आरबीआई।

औद्योगिक संबंध

XI.29 वर्ष के दौरान बैंक में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे। महामारी के कारण, कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित मुद्दों पर मान्यता प्राप्त संघ/ परिसंघ के साथ वर्चुअल मोड के माध्यम से बैठकें आयोजित की गईं। अप्रैल 2021 - मार्च 2022 के दौरान, एचआरएमडी, केंद्रीय कार्यालय ने अधिकारियों और कामगार कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले मान्यता प्राप्त संघ/ परिसंघ की केंद्रीय इकाइयों के साथ 21 बैठकें कीं। क्षेत्रीय कार्यालयों (आरओ) ने भी इन मान्यता प्राप्त संघ/ परिसंघ की स्थानीय इकाइयों के साथ अपने संचार माध्यमों को खुला रखा। बैंकिंग उद्योग में वेतन निपटान के क्रम में, रिज़र्व बैंक के सभी कर्मचारियों के 1 नवंबर, 2017 से 31 अक्टूबर, 2022 की अवधि के वेतन संशोधन को सफलतापूर्वक पूरा किया गया। विभाग ने वर्ष के दौरान एक व्यापक कर्मचारी जुड़ाव सर्वेक्षण भी किया। अभी प्राप्त प्रतिभावों की जांच की जा रही है।

कर्मचारियों के साथ इंटरफेस

XI.30 वर्ष के दौरान, विभाग ने अपने आंतरिक ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के अपने प्रयासों के एक भाग के रूप में एक नए प्रभाग, कर्मचारी इंटरफेस और विश्लेषण प्रभाग (ईआईएडी) की स्थापना की (बॉक्स XI.1)।

भर्ती और स्टाफ संख्या

XI.31 2021 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक ने विभिन्न संवर्गों में कुल 1,448 कर्मचारियों की भर्ती की (सारणी XI.3)।

XI.32 दिसंबर 2021 के अंत तक रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की कुल संख्या 12,856 थी, जो पिछले वर्ष के दिसंबर के अंत की स्थिति से 4.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करती है (सारणी XI.4)। मार्च 2022 के अंत तक, रिज़र्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या 12,782 थी, जिसमें श्रेणी-I में 6,556, श्रेणी-III में 3,371 और श्रेणी-IV में 2,855 शामिल थे।

सारणी XI.3: 2021 में रिज़र्व बैंक द्वारा भर्तियां*

श्रेणी	कुल	*जिसमें से:*			
		एससी	एसटी	ओबीसी	ईडब्ल्यूएस
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	440	72	36	113	26
श्रेणी III	875	118	37	354	68
श्रेणी IV	133	25	16	44	4
कुल	**1,448**	**215**	**89**	**511**	**98**

*: जनवरी - दिसंबर।
स्रोत: आरबीआई।

सारणी XI.4: रिजर्व बैंक के कर्मचारियों की संख्या*

श्रेणी	कुल संख्या		श्रेणी-वार संख्या						कुल संख्या का प्रतिशत		
			एससी		एसटी		ओबीसी		एससी	एसटी	ओबीसी
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021		2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
श्रेणी I	6,121	6,598	976	1,071	413	462	1,159	1,399	16.23	7.00	21.20
श्रेणी III	3,051	3,337	468	489	191	191	866	1,077	14.65	5.72	32.27
श्रेणी IV	3,104	2,921	724	648	249	231	672	693	22.18	7.91	23.72
कुल	**12,276**	**12,856**	**2,168**	**2,208**	**853**	**884**	**2,697**	**3,169**	**17.17**	**6.88**	**24.65**

*: अंत-दिसंबर 2020 और 2021।
स्रोत: आरबीआई।

XI.33 दिसंबर 2021 के अंत तक रिज़र्व बैंक में भूतपूर्व सैनिकों की कुल संख्या 1,034 थी, जबकि विकलांग कर्मचारियों की कुल संख्या 288 थी (सारणी XI.5)। जनवरी-दिसंबर 2021 के दौरान, रिज़र्व बैंक में 140 भूतपूर्व सैनिकों और बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) के 6 व्यक्तियों की भर्ती की गई।

XI.34 2021 (जनवरी-दिसंबर) के दौरान, रिज़र्व बैंक की आरक्षण नीति के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए प्रबंधन और अखिल भारतीय रिज़र्व बैंक अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति और बौद्ध संघ के प्रतिनिधियों के बीच तीन बैठकें आयोजित की गईं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) संघ के प्रतिनिधियों के साथ भी दो बैठकें की गईं।

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम

XI.35 वर्ष 1998 से कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए एक औपचारिक शिकायत निपटान प्रणाली कार्य कर रही है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम और नियम 2013 के अनुसार वर्ष 2014-15 में जारी नए विस्तृत दिशा-निर्देशों से इसे सशक्त किया गया है। अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसका निपटान कर दिया गया है। नए भर्ती किए गए कर्मचारियों सहित स्टाफ सदस्यों को संवेदनशील बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ-साथ केंद्रीय कार्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सारणी XI.5: भूतपूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूबीडी की कुल संख्या*

श्रेणी	भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)	पीडब्ल्यूबीडी (बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्ति)			
		दृष्टिबाधित (VI)	श्रवण बाधित (HI)	अस्थि दिव्यांग (OH)	बौद्धिक दिव्यांग**
1	2	3	4	5	6
श्रेणी I	246	42	5	101	-
श्रेणी III	145	38	1	49	4
श्रेणी IV	643	8	3	37	-

*: अंत-दिसंबर 2021. -: शून्य.
**: दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार, बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो बौद्धिक कार्य (तर्क, सीखने और समस्या समाधान) और अनुकूली व्यवहार दोनों में महत्वपूर्ण सीमा की विशेषता है, जिसमें हर दिन, सामाजिक और व्यावहारिक कौशल शामिल हैं। जिसमें 'विशिष्ट सीखने की अक्षमता' और 'आत्मकेंद्रित स्पेक्ट्रम विकार' शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई.

सूचना का अधिकार (आरटीआई)

XI.36 अप्रैल 2021 से मार्च 2022 के दौरान रिज़र्व बैंक को सूचना के लिए 19,435 अनुरोध और आरटीआई अधिनियम के तहत 1,897 अपीलें प्राप्त हुईं। इस अवधि के दौरान क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों, कोलकाता और चेन्नई द्वारा आरटीआई अधिनियम पर दो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

स्टाफ कल्याण

XI.37 अधिकारियों को रिज़र्व बैंक के आवास के आबंटन के संबंध में नीति और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। समिति द्वारा की गई सिफारिशों की वर्तमान में जांच की जा रही है।

कोविड-19 महामारी का प्रतिसाद

XI.38 कोविड-19 महामारी की पहली लहर की शुरुआत में की गई पहल का दूसरी लहर के समय भी अनुपालन किया जाता रहा। इनमें *अन्य बातों के साथ-साथ* कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए घर से काम का संचालन, कैंटीन और अधिकारियों के लाउंज में कार्यरत ठेका श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के भुगतान के साथ आउटसोर्स एजेंसी/ संविदा कर्मचारियों को नियमित भुगतान करना; मृतक कर्मचारियों के आश्रितों के लिए विशेष अनुग्रह पैकेज और विशेष अनुकंपा नियुक्ति योजना की शुरुआत, इत्यादि इनमें शामिल हैं।

XI.39 अपने कर्मचारियों की सुरक्षा और भलाई को ध्यान में रखते हुए, रिज़र्व बैंक ने कर्मचारियों, उनके परिवार के सदस्यों और आउटसोर्स कर्मचारियों को कोविड-19 के खिलाफ कार्यालय परिसर के साथ-साथ आवासीय क्वार्टरों में टीकाकरण करने के लिए शिविर आयोजित करने की पहल की। विभिन्न केंद्रों पर वैक्सीन निर्माण कंपनियों, प्रतिष्ठित अस्पतालों और स्थानीय अधिकारियों के समन्वय में टीकाकरण शिविर आयोजित किए गए। मार्च 2022 के अंत तक, रिज़र्व बैंक के 98 प्रतिशत कर्मचारियों को पूरी तरह से टीका लगाया गया था। इस पहल ने न केवल कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित किया, बल्कि रिज़र्व बैंक के कार्यालयों को फिर से खोलने में भी मदद की। कोविड-19 संक्रमण के प्रसार के संबंध में घर से काम करने वाले कर्मचारियों के अनुपात का नियमित रूप से मूल्यांकन किया गया था और जब भी उच्च संक्रमण दर में गिरावट आई तब पूरी क्षमता से कार्यालय को फिर से खोला गया।

XI.40 संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए एक व्यापक कार्यनीतिक ढांचे पर काम किया गया था जो कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए घर से काम के संचालन के साथ-साथ विभिन्न केंद्रों पर 'टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट' नीति के दृष्टिकोण के समरूप है। केंद्रीय कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय/उप-कार्यालयों के सभी कर्मचारियों की कोविड-संबंधी चिकित्सा और रसद संबंधी आवश्यकताओं का निपटान करने के लिए स्थापित व्यवस्थाओं में एक कोविड-19 प्रतिक्रिया समूह की स्थापना, बाल चिकित्सा अस्पतालों सहित अस्पतालों के साथ गठजोड़, समर्पित घरेलू उपचार पैकेज और होटलों में संगरोध व्यवस्था और कर्मचारियों और उनके पात्र आश्रितों को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन - पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) परीक्षण की लागत की प्रतिपूर्ति शामिल हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.41 वर्ष के लिए रोडमैप के अंतर्गत विभाग के लिए निम्नलिखित माइलस्टोन शामिल किए गए हैं:

- अंतरराष्ट्रीय बैठकों/ सम्मेलनों/ सेमिनारों (आईएमएफ/ बीआईएस/जी-20/सार्क आदि) के लिए जाने वाले अधिकारियों के इष्टतम अवसर और कौशल और ज्ञान का उन्नयन सुनिश्चित करना *[उत्कर्ष]*;
- कारोबार निरंतरता योजना के हिस्से के रूप में एक निर्बाध कार्य वातावरण बनाने के लिए 'कहीं से भी काम करना' पर एक नीति तैयार करना;
- प्रशिक्षण संबंधी विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करने और उन्हें समेकित करने के साथ-साथ रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों की समीक्षा करना;

- स्वास्थ्य संबंधी मामलों पर एक 'कर्मचारी सहायता कार्यक्रम' स्थापित करना; और
- रिज़र्व बैंक के ऑनलाइन संसाधनों तक एकल पहुंच बिंदु के रूप में 'कर्मचारी जुड़ाव मंच' विकसित करना और बैंक-कर्मचारी और कर्मचारी-कर्मचारी संचार को मजबूत करना।

4. उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन

XI.42 जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी) रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) के निर्माण और संचालन के लिए नोडल विभाग है। वर्ष के दौरान, विभाग का ध्यान घटना रिपोर्टिंग में सुधार, जोखिम विश्लेषण को मजबूत करने और जोखिम सहनशीलता सीमा (आरटीएल), व्यावहारिक जोखिम डैशबोर्ड और जोखिम सूचकांकों के निर्माण के माध्यम से जोखिम रिपोर्टिंग पर था।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.43 पिछले साल, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- अन्य परिचालन क्षेत्रों के लिए जोखिम सहने की सीमा (आरटीएल) का निर्धारण *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ XI.44];
- आईटी और साइबर जोखिम का मात्रा निर्धारण *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ XI.45]; और
- परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा (आरएएम-ओआर) [पैराग्राफ XI.46]।

कार्यान्वयन की स्थिति

अन्य परिचालन क्षेत्रों के लिए आरटीएल का निर्धारण

XI.44 सभी पहचाने गए परिचालन क्षेत्रों, *जैसे,* लेखा परीक्षा, लेखा इकाई, बजट और व्यापार निरंतरता, संचार, मुद्रा प्रबंधन, ग्राहक शिक्षा, मानव संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, कानूनी, भुगतान और निपटान, राजभाषा और पर्यवेक्षण के लिए आरटीएल का निर्धारण प्राप्त किया गया है।

आईटी और साइबर जोखिम का मात्रा निर्धारण

XI.45 रिज़र्व बैंक में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी स्तरों पर नियंत्रणों की प्रभावशीलता के लिए परिपक्वता रेटिंग प्रदान करने हेतु संकेतकों की एक व्यापक व्यवस्था तैनात की गई है।

परिचालन जोखिम के लिए जोखिम मूल्यांकन पद्धति की समीक्षा (आरएएम-ओआर)

XI.46 प्रतिपुष्टि, परिणामों, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं के आधार पर और विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों में गतिविधियों के बदलते दायरे को ध्यान में रखते हुए, संशोधित आरएएम-ओआर को हितधारकों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जा रहा है और सितंबर 2022 तक पूरा होने की उम्मीद है।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.47 वर्ष के लिए, विभाग हेतु निम्नलिखित लक्ष्य प्रस्तावित किए गए हैं:

- *जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य:* जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) के तहत जोखिम मूल्यांकन के साथ आरएएम-ओआर के अनुसार जोखिम-रेटिंग का सामंजस्य और एक संस्थागत प्रतिपुष्टि पाश बनाना;
- *जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल का स्वचालन:* वेब आधारित एकीकृत जोखिम निगरानी और घटना रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआईएस) में जोखिम रजिस्टर मॉड्यूल के स्वचालन का संचालन करना;
- विभिन्न विभागों और आउटसोर्सिंग नीति द्वारा उपयोग किए जाने वाले मॉडलों के लिए रूपरेखा; और
- *अनुप्रयोग सुरक्षा को सुदृढ़ बनाना:* इसमें कार्यात्मक और तकनीकी स्तर पर एप्लिकेशन प्रोफाइलिंग और अनुप्रयोगों के लिए परिधि सुरक्षा (वेब एप्लिकेशन फायरवॉल) अभिरक्षण की समीक्षा करना और स्थापित करना और एक उचित प्रतिक्रिया ढांचा विकसित करना शामिल होगा।

5. आंतरिक लेखापरीक्षा/ निरीक्षण

XI.48 रिज़र्व बैंक का निरीक्षण विभाग आंतरिक नियंत्रण और शासन प्रक्रियाओं की जांच, मूल्यांकन और रिपोर्ट करता है और जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) ढांचे के माध्यम से शीर्ष प्रबंधन और केंद्रीय बोर्ड को जोखिम आश्वासन प्रदान करता है। इस प्रकार, विभाग रिज़र्व बैंक में उद्यम-व्यापी जोखिम प्रबंधन (ईआरएम) कार्य के तहत रक्षा की तीसरी पंक्ति[2] (*यानी* आश्वासन) के रूप में कार्य करता है, जबकि आरएमडी, रक्षा की दूसरी पंक्ति के रूप में, प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के कार्यान्वयन की निगरानी और सुविधा प्रदान करता है, जिसमें जोखिम निगरानी समिति (आरएमसी) और केंद्रीय बोर्ड की लेखा परीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस) को जोखिमों की रिपोर्टिंग शामिल है। विभाग समवर्ती लेखा परीक्षा (सीए) प्रणाली के कामकाज की निगरानी भी करता है और रिज़र्व बैंक में स्व-मूल्यांकन लेखा परीक्षा (सीएसएए) को नियंत्रित करता है। आरबीआईए, सीए और सीएसएए कार्य लेखा परीक्षा प्रबंधन और जोखिम निगरानी प्रणाली (एएमआरएमएस) नामक एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से किए जाते हैं। विभाग केंद्रीय बोर्ड की लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति के सचिवालय के रूप में कार्य करता है और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की देखरेख में कार्यकारी निदेशकों की समिति (ईडीसी) के लिए भी कार्य करता है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.49 पिछले साल, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- लागत, समय और सुपुर्दगी के प्रभावी प्रबंधन का आकलन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने के लिए कि परियोजनाओं का प्रबंधन स्थापित परियोजना उद्देश्यों के अनुरूप है, रिज़र्व बैंक की सभी पहचानी गई उच्च मूल्य वाली आईटी और गैर-आईटी परियोजनाओं के लिए पूर्ण परियोजना लेखा परीक्षा लागू करना *(उत्कर्ष)* [अनुच्छेद XI.50];
- आरबीआईए के तहत मूल्यांकन किए गए जोखिम-रेटिंग के साथ आरएएम-ओआर के अनुसार जोखिम-रेटिंग के साथ पूर्ण अभिसरण प्राप्त करने का प्रयास *(उत्कर्ष)* [पैराग्राफ XI.51]; और
- वर्ष 2021 की दूसरी छमाही के दौरान एएमआरएमएस पैकेज में उपयुक्त परिवर्तन करने और समानांतर रन मोड के तहत परीक्षण करने के बाद जनवरी 2022 से रिज़र्व बैंक में संशोधित जोखिम सूचकांक और स्कोरिंग पद्धति को लागू करना (पैराग्राफ XI.52)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.50 तीन लेखापरीक्षित कार्यालयों अर्थात दो केंद्रीय कार्यालय विभाग और एक क्षेत्रीय कार्यालय को कवर करते हुए चार परियोजना लेखापरीक्षा (एक प्रायोगिक आधार सहित दो आईटी और दो गैर-आईटी) सफलतापूर्वक आयोजित की गईं इन अभ्यासों का प्राथमिक उद्देश्य परियोजना की योजना, प्रकृति और जिम्मेदारियों की सीमा, परियोजना प्रबंधन टीम के अधिकार और जवाबदेही, संसाधनों के उपयोग, समय पर पूरा होने और परियोजना के वितरण का मूल्यांकन करके परियोजना के निष्पादन के संबंध में एक स्वतंत्र, वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन प्रदान करना था।

XI.51 आरएएम-ओआर के अनुसार निर्धारित आरबीआईए और जोखिम रेटिंग के तहत मूल्यांकन किए गए जोखिम रेटिंग के लक्षित अभिसरण संतोषजनक थे। हालांकि, उपलब्धियों का ट्रैक रखने और शीर्ष प्रबंधन को रिपोर्ट करने के लिए निरंतर निगरानी और अभिसरण रिपोर्ट तैयार करना था।

XI.52 संशोधित जोखिम सूचकांक और स्कोरिंग मॉडल, संचालन के मूल और महत्वपूर्णता के आधार पर, आरबीआईए

[2] रक्षा की पहली पंक्ति प्रबंधन नियंत्रण है, जबकि रक्षा की दूसरी पंक्ति में प्रबंधन द्वारा स्थापित विभिन्न जोखिम नियंत्रण, अनुपालन और निगरानी कार्य शामिल हैं।

के मुद्दों के संपूर्ण विस्तार पर पुनर्विचार करने के लिए गठित आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) की सिफारिशों के अनुसार, इसे और अधिक जोखिम केंद्रित बनाने के लिए जल्दी से लागू किया जाएगा।

प्रमुख गतिविधियां

जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा - आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन

XI.53 आरबीआईए प्रक्रिया को अधिक जोखिम केंद्रित बनाने के लिए और सीओडी/आरओ की भूमिका, जोखिम, मूल और महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर आरबीआईए के मुद्दों के पूरे पहलू पर फिर से विचार करने के लिए, अगस्त 2021 में सदस्य के रूप में केंद्रीय कार्यालय चयनित विभागों के प्रमुखों और चयनित क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय निदेशकों के साथ निरीक्षण विभाग के प्रभारी कार्यपालक निदेशक महोदय की अध्यक्षता में एक आंतरिक कार्य समूह (आईडब्ल्यूजी) का गठन किया गया था। आईडबल्यूजी की 2021-22 के दौरान दो बार बैठक हो चुकी है और जनवरी 2022 में अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। आरबीआईए प्रसंस्करण को आईडब्ल्यूजी की सिफारिशों के अनुसार परिचालन के मूल/ महत्व के आधार पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

अन्य पहल

XI.54 एक "अनुपालन सूचकांक", केंद्रीय कार्यालय विभाग / क्षेत्रीय कार्यालय की समग्र अनुपालन स्थिति को दर्शाता है, आंतरिक समूह की सिफारिशों के आधार पर, जिसमें चुनिंदा विभागों के सदस्य शामिल होते हैं [*यथा*, जोखिम निगरानी विभाग (आरएमडी), सरकारी और बैंक लेखा विभाग (डीजीबीए), आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग (डीईपीआर), सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग (डीएसआईएम) और पर्यवेक्षण विभाग (डीओएस)] को एक विशेष लेखापरीक्षिती कार्यालय में विभिन्न लेखा परीक्षा के अनुपालन के समग्र स्तर का आकलन करने के लिए विकसित किया गया है और यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि क्या जोखिम सूचकांक, आरबीआईए के वर्तमान चक्र के पूरा होने के बाद और अनुपालन सूचकांक में परिलक्षित स्थिति, अनुपालन की समान दिशा दर्शाती है। आगे बढ़ते हुए, अनुपालन सूचकांक की गणना करते समय बजट उपयोग भिन्नता और अतिरिक्त बजट मांग, और आरएमडी से इनपुट जैसे अन्य पहलुओं पर विचार किया जाएगा।

XI.55 एएमआरएमएस में "स्वनियंत्रण मूल्यांकन लेखापरीक्षा (सीएसएए) मॉड्यूल का स्वचालन लागू किया गया है और आवश्यक प्रशिक्षण सहायता प्रदान की गई है। सभी एएमआरएमएस मॉड्यूल की हैंडबुक को अपडेट किया गया और सभी कार्यालयों के साथ साझा किया गया और प्रणाली को अपग्रेड करने के लिए निर्धारित किया गया है। एएमआरएमएस में स्वचालन ने लेखापरीक्षा की योजना और संचालन में सुधार की सुविधा प्रदान की; लेखापरीक्षा रिपोर्टिंग, प्रस्तुतीकरण, प्रसंस्करण और अनुपालन की निगरानी में एकरूपता और मानकीकरण प्रदान किया; प्रमुख कार्यनिष्पादन संकेतकों (केपीआई), प्रलेखन और रिकॉर्ड प्रबंधन और अलर्ट पर एकीकृत तरीके से डेटा विश्लेषण और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड को सक्षम किया। इससे आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों के बीच तालमेल और दक्षता पैदा करने में मदद मिली और साथ ही जोखिम प्रबंधन और जोखिम आश्वासन कार्यों में भी मदद मिली।

XI.56 वर्ष के दौरान विभाग के भीतर एक गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग (क्यूएडी) बनाया गया था, जिसका उद्देश्य आरबीआईए निरीक्षण रिपोर्टों में उचित प्रारूप, शैली और भाषा का उपयोग सुनिश्चित करना, नवीनतम निर्देशों का हवाला देते हुए यह आश्वासन देना था कि रिपोर्ट तैयार की जाती है और अच्छी तरह से प्रस्तुत की जाती है जिसमें संपादन की संभावना भी हो।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.57 वर्ष के दौरान, विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- आरएमडी के साथ प्रतिपुष्टि पाश (फीडबैक लूप) के लिए एक ढांचा तैयार करना ताकि समग्र परिचालन जोखिमों पर लगभग अभिसरण परिणाम प्राप्त हो सकें *(उत्कर्ष);*
- डेटा माइनिंग और विश्लेषण उद्देश्य के लिए और प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के लिए दृश्य विश्लेषण रिपोर्ट का पूर्ण विकास और निर्माण *[उत्कर्ष];*

- आईडब्ल्यूजी के निर्णयों/सिफारिशों के आधार पर संशोधित जोखिम रेटिंग और स्कोरिंग मॉडल का कार्यान्वयन;
- आरबीआईए को और अधिक जोखिम-केंद्रित बनाना *(उत्कर्ष);*
- विशेषज्ञता और क्षमता निर्माण को प्राथमिकता के क्षेत्र के रूप में अपनाना *(उत्कर्ष)*;
- विभागों के विशिष्ट क्षेत्रों के निरीक्षण के लिए कुशल अधिकारियों की तैनाती के लिए एक रूपरेखा विकसित करना *(उत्कर्ष)*; और
- निरीक्षण विभाग को स्वतंत्र रिपोर्टिंग के साथ लेखापरीक्षिती कार्यालयों द्वारा अनुपालन की गुणवत्ता की बारीकी से निगरानी के लिए चार क्षेत्रों में क्षेत्रीय निरीक्षणालयों (ज़ेडआई) का सृजन *(उत्कर्ष)*।

6.कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट प्रबंधन

XI.58 कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग (सीएसबीडी) रिज़र्व बैंक की कार्यनीतियों का निर्माण और समन्वय करता है, वार्षिक बजट तैयार करता है और बजटीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए व्यय की निगरानी भी करता है। विभाग संकट समय के लिए सुदृढ़ कारोबार निरंतरता योजनाएं (बीसीपी) बनाता है और उसका कार्यान्वयन करता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाह्य संस्थानों के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

XI.59 रिज़र्व बैंक के कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) फ्रेमवर्क के लिए नोडल विभाग होने के नाते सीएसबीडी ने वर्ष के दौरान रिज़र्व बैंक में कारोबार प्रक्रिया और महत्वपूर्ण प्रणालियों का सुचारु रूप से कार्य करने जैसी मुख्य भूमिका निभाने का कार्य सुरक्षित, क्वारंटाइन वातावरण (वायो बबल प्रबंध) से जारी रखा ताकि डाउन टाइम शून्य हो और पूर्ण दक्षता रह सके।

XI.60 मार्च 2021 में महामारी की दूसरी लहर के बीच, रिज़र्व बैंक के मानव संसाधनों की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए संकट प्रबंधन टीम (सीएमटी) की बैठक की गई ताकि वर्ष के दौरान समय-संवेदी महत्वपूर्ण गतिविधियों (टीएससीए) के सुचारू संचालन की सुविधा जारी रखा जा सके। महामारी की स्थिति में सुधार होने पर सीएमटी ने भविष्य के लिए वैकल्पिक योजना के साथ बायो-बबल व्यवस्था को धीरे-धीरे बंद करने का फैसला किया। हालांकि, तीसरी लहर की शुरुआत के साथ बायो-बबल व्यवस्था को वापस लाया गया और महामारी की लहर के समाप्त होने के बाद ही इसे बंद किया गया।

XI.61 विभाग ने बाहरी वित्त पोषित संस्थानों (ईएफआई) की निगरानी के रूप में उनके संचालक मण्डल और उप समितियों की बैठकें करके उनके अभिशासन को सुदृढ़ करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, राष्ट्रीय बैंक प्रबंध संस्थान (एनआईबीएम), उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (आईआईबीएम) में निदेशक के रिक्त पदों पर नियुक्तियां पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से की गईं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आने वाले समय में कैफरल वित्तीय रूप से स्व-निर्भर बने, रिज़र्व बैंक और कैफरल के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) निष्पादित किया गया। साथ ही, इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान (आईजीआईडीआर) के संगम ज्ञापन (एमओए) और नियमों और विनियमों को संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया गया।

XI.62 रिज़र्व बैंक ने विशेष रूप से संकट के समय में, भविष्य निधि शेष के कुशल निपटान की आवश्यकता को समझते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक कर्मचारी भविष्य निधि (आरबीआईईपीएफ) के सदस्यों के लिए क्रमिक नामांकन सुविधा शुरू की, जिसमें सदस्य तीन बार तक क्रमिक नामांकन कर सकते हैं।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.63 वर्ष 2021-22 के लिए विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए:

- *'उत्कर्ष'* डैशबोर्ड का एक अंतर्निहित प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के साथ कार्यनीतिक लक्ष्यों/ महत्वपूर्ण बिंदुओं की संभावित गैर-प्राप्ति के लिए संचालन करना (पैराग्राफ XI. 64);
- '*उत्कर्ष* 2022' के कार्यनीति ढांचे की मध्यावधि समीक्षा कार्यनीतिक उप-समिति द्वारा आयोजित करना (पैराग्राफ XI. 65);
- महामारी के लिए बीसीएम ढांचा तैयार करना (पैराग्राफ XI. 66); और
- अतिरिक्त बजट स्वीकृत को युक्तिसंगत बनाना और प्रक्रिया को स्वचालित बनाना (पैराग्राफ XI.67)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.64 कोविड-19 के कारण उत्पन्न व्यवधानों से *'उत्कर्ष'* डैशबोर्ड के कार्यान्वयन में देरी हुई। उत्कर्ष डैशबोर्ड एप्लिकेशन विकास के उन्नत चरण में है और इसके मध्य जून 2022 तक प्रारंभ होने की उम्मीद है।

XI.65 मध्यावधि समीक्षा के भाग के रूप में '*उत्कर्ष* 2022' के तहत माइलस्टोन की एक पियर समीक्षा की गई। मार्च 2022 के अंत तक, 352 माइलस्टोन में से 254 को लागू किया जा चुका है जबकि लक्ष्य कार्यान्वयन के लिए लगभग 9 महीने शेष हैं (31 दिसंबर 2022)।

XI.66 वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुसरण में महामारी के दौरान कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया और महामारी के लिए एक मजबूत बीसीएम ढांचा स्थापित करने के लिए व्यावसायिक इकाइयों (बीयू) से इनपुट प्राप्त किए गए, जिन्हें जून 2022 तक अंतिम रूप दिया जा सकता है।

XI.67 बहु-आयामी एमआईएस सुविधा के साथ पूरी तरह से स्वचालित बजट प्रशासन के लिए एक नए सिस्टम एप्लिकेशन और उत्पाद (एसएपी)[3] आधारित बजट मॉड्यूल के विकास के लिए कदम उठाए गए है। इस मॉड्यूल के 2022-23 में शुरू होने की उम्मीद है।

2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.68 वर्ष के लिए विभाग की कार्ययोजना में निम्नलिखित शामिल हैं:

- कुशल और प्रभावी बजट प्रबंधन (उत्कर्ष) को बढ़ावा देने के लिए बजट इकाइयों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा की शुरुआत करना;
- वर्ष 2023-25 की अवधि के लिए कार्यनीति फ्रेमवर्क '*उत्कर्ष* 2.0' तैयार करना, उसे अंतिम रूप देना और आरंभ करना;
- 'अदावी पीएफ खातों' के संचालन को सुव्यवस्थित करना; और
- भारतीय रिज़र्व बैंक व्यय नियमावली की समीक्षा करना।

7. राजभाषा

XI.69 राजभाषा विभाग राजभाषा अधिनियम 1963 के वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने, राजभाषा नियम, 1976, भारत के राष्ट्रपति के आदेशों और सरकारी विभागों से प्राप्त अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। इसमें रिज़र्व बैंक की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) के विभिन्न पहलुओं, हिंदी प्रशिक्षण, निरीक्षण, हिंदी पत्राचार, हिंदी पुस्तकों की खरीद और हिंदी विज्ञापनों पर अनिवार्य व्यय और द्विभाषीकरण की अन्य आवश्यकताएं शामिल हैं। विभाग ने वर्ष के दौरान माननीय

3 आमतौर पर उद्यम संसाधन योजना (ईआरपी) के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला डेटा प्रसंस्करण सॉफ्टवेयर।

संसदीय राजभाषा समिति को दिए गए आश्वासनों को पूरा किया है और केंद्र सरकार द्वारा वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 के तहत निर्धारित हिंदी के प्रयोग संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त किया है। इसके अलावा, विभाग ने हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए महामारी द्वारा उपन्न व्यावहारिक बाधाओं के बावजूद स्टाफ के लिए व्याख्यान, प्रशिक्षण, कार्यशालाएं, हिंदी दिवस समारोह और उससे जुड़ी हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। इन सभी उपायों और अन्य पहलों के माध्यम से राजभाषा विभाग, भारत सरकार द्वारा जारी "वार्षिक कार्यक्रम 2021-22" में हिंदी के प्रयोग के लिए वर्णित "12 प्र"[4] ढांचे और कार्यनीति को प्रदर्शित करते हुए उसे *"आज़ादी का अमृत महोत्सव"* [5] की भावना के अनुरूप कार्यान्वित किया और राजभाषा विभाग रिज़र्व बैंक के दैनिक कार्यों एवं क्रियाकलापों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने मिशन और विजन में अग्रणी रहा है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.70 पिछले वर्ष विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- 'राजभाषा नीति: एक परिचय' पर एक पुस्तिका प्रकाशित करना और स्टाफ को जागरूक बनाने हेतु इसका प्रसार करना (पैराग्राफ XI.71);
- भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम एवं अन्य अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना और इसे सभी क्षेका/ केंकावि को एक तैयार रेकनर के रूप में परिचालित करना (पैराग्राफ XI.72) करना;
- रिज़र्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा नीति पर कार्यक्रम आयोजित करना (पैराग्राफ XI.73);
- राजभाषा निरीक्षण की प्रभावकारिता बढ़ाने के लिए राजभाषा अधिकारियों को राजभाषा निरीक्षण पर प्रशिक्षण देना (पैराग्राफ XI.73);
- हिंदी के प्रयोग के संबंध में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए क्षेका/ केंकावि में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ तीनों क्षेत्रों (*यथा* क, ख और ग) के लिए क्षेत्रवार समीक्षा बैठक आयोजित करना (पैराग्राफ XI.74);
- द्विभाषीकरण सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट/ ईकेपी पर अपलोड किए गए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर और सामग्रियों की निगरानी करना (पैराग्राफ XI.75); और
- प्रणाली को मजबूत करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के लिए अनुवाद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना; और नियमित अंतराल पर अनुवाद समीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन भी करना (पैराग्राफ XI.75);

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.71 राजभाषा से संबंधित नीतियों और अनिवार्य प्रावधानों को शामिल करते हुए 'राजभाषा नीति: एक परिचय' नामक पुस्तिका को 21 मार्च 2022 को जारी किया गया। यह स्टाफ

[4] *राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी "हिंदी में संघ के आधिकारिक कार्य के संचालन के लिए वार्षिक कार्यक्रम" के तहत 12प्र में 12 स्तंभ शामिल हैं, जैसे प्रेरणा, प्रोत्साहन, प्रेम, पुरस्कार, प्रशिक्षण, प्रयोग, प्रचार, प्रसार, प्रबंधन, पदोन्नति, प्रतिभा और प्रयास।*

[5] *आज़ादी का अमृत महोत्सव* भारत सरकार की एक पहल है जो प्रगतिशील भारत के 75 साल और इसके लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाने और अभिनंदन करने के लिए है। यह 12 मार्च, 2021 को शुरू हुआ और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के लिए 75-सप्ताह की उलटी गिनती शुरू हुई और जो 15 अगस्त, 2023 को समाप्त होगी।

सदस्यों को उनके नियमित कार्यालयीन कार्यों में एक आसान और सुलभ संदर्भ के रूप में कार्य करेगा।

XI.72 राजभाषा संबंधी कार्यालयीन कामकाज को करने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 के लक्ष्यों और सभी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए हिंदी के प्रयोग के संबंध में एक विस्तृत 'वार्षिक कार्ययोजना 2021-22' तैयार की गई। यह लक्ष्य आधारित व्यापक कार्ययोजना 02 अप्रैल 2021 को प्रकाशित हुई और रिज़र्व बैंक में उसका कार्यान्वयन हुआ।

XI.73 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए राजभाषा नीति पर 15 फरवरी 2022 को कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 37 अधिकारियों ने भाग लिया।

XI.74 हिंदी के प्रयोग के संबंध में निगरानी प्रणाली को मजबूत करने के लिए 29 जून, 2021 को क्षेत्र 'क' में तैनात राजभाषा अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं और 'ख' और 'ग' क्षेत्रों के लिए समीक्षा बैठकें क्रमशः 29 और 30 दिसंबर, 2021 को आयोजित की गईं।

XI.75 द्विभाषीकरण और राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट की नियमित रूप से निगरानी की जाती है। वर्ष के दौरान अनुवाद पर तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम हुए, रिज़र्व बैंक स्टाफ कॉलेज (आरबीएससी), चेन्नई में दो और केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 53 राजभाषा अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। इसके साथ ही विभाग द्वारा तिमाही आधार पर नियमित रूप से अनुवाद समीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं।

महत्वपूर्ण गतिविधियां

XI.76 भाषाई क्षेत्रों, *यथा* क, ख, और ग, में स्थित क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रकाशित 'हिंदी इन-हाउस ई-पत्रिकाओं' *('हिंदी ई-गृह पत्रिकाएं')* को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने और रिज़र्व बैंक में हिन्दी में मौलिक रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष एक योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत वर्ष 2020-21 के परिणाम 24 नवंबर 2021 को प्रकाशित किए गए थे। इसके साथ ही, हिंदी दिवस 2021 *यानी* 14 सितंबर 2021 के अवसर पर; सभी कें.का.वि./ क्षे.का. द्वारा हिंदी सप्ताह/ पखवाड़े/माह का आयोजन करके हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

प्रशिक्षण

XI.77 रिज़र्व बैंक के विजन स्टेटमेंट "उत्कर्ष 2022" के अनुसरण में वर्तमान और उभरती चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन कौशल को बढ़ाने के लिए आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र, कोलकाता द्वारा राजभाषा अधिकारियों के एक बैच को 3-5 जनवरी 2022 के दौरान सामान्य बैंकिंग पर प्रशिक्षण दिया गया।

प्रकाशन

XI.78 रिज़र्व बैंक के सांविधिक प्रकाशन *जैसे* वार्षिक रिपोर्ट, भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर रिपोर्ट, मौद्रिक नीति रिपोर्ट और अन्य प्रकाशन जैसे वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, साप्ताहिक सांख्यिकीय अनुपूरक और भारतीय रिज़र्व बैंक के मासिक बुलेटिन द्विभाषी रूप में प्रकाशित किए गए और ये रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा विभाग द्वारा रिज़र्व बैंक में हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित अर्धवार्षिक ई-पत्रिका, *राजभाषा समाचार* और बैंकिंग और वित्त संबंधी विषयों से संबंधित अर्धवार्षिक हिंदी पत्रिका *'बैंकिंग चिंतन अनुचिंतन'* का भी प्रकाशन किया गया।

एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली

XI.79 विभाग द्वारा राजभाषा नीति संबंधी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक एकीकृत राजभाषा रिपोर्टिंग प्रणाली (आईआरआरएस) सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन को विकसित किया गया जिसका उपयोग वर्तमान में रिज़र्व बैंक के कें.का.वि./ क्षे.का./ प्र.सं. द्वारा राजभाषा संबंधी रिपोर्टों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के लिए किया जा रहा है। एप्लिकेशन क्षेत्रीय कार्यालयों और केंद्रीय कार्यालय के विभागों में विभिन्न

राजभाषा नीतियों के कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा भी उपलब्ध कराता है।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.80 विभाग ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई है:

- बैंकिंग शब्दावली के नए संस्करण का दिसंबर 2023 तक प्रकाशन (*उत्कर्ष*);
- भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और अन्य अनुदेशों के अनुसार राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए रिज़र्व बैंक की वार्षिक कार्ययोजना तैयार करना;
- हिन्दी के प्रयोग के संबंध में कार्यान्वयन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए राजभाषा अधिकारियों के साथ क्षेत्रवार समीक्षा बैठकें आयोजित करना; और
- राजभाषा अधिकारियों के अनुवाद कौशल को उन्नत करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

8. परिसर विभाग

XI.81 परिसर विभाग का विजन रिज़र्व बैंक के परिसरों में वास्तुशिल्पीय उत्कृष्टता और सौंदर्यात्मक आकर्षण के समेकन के साथ ग्रीन रेटिंग से 'अपनी श्रेणी में सर्वोत्तम' और पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के साथ ही उच्चतम स्तर की सफाई सुनिश्चित करना है।

वर्ष 2021-22 के लिए कार्ययोजना

XI.82 पिछले वर्ष, विभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए थे:

- जनवरी 2022 के लिए उत्कर्ष के तहत निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करना और उनमें सुधार करना (पैराग्राफ XI.83);
- चेन्नै (अन्ना नगर) और दिल्ली (हौज खास) में शीघ्र ही पूर्ण होने वाली आवासीय परियोजनाओं का अधिग्रहण (पैराग्राफ XI.84);
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर, देहरादून और जम्मू में आवासीय परियोजनाओं और मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करना [पैराग्राफ XI.84];
- शिलांग और रांची कार्यालय के भूखंडों पर चारदीवारी का निर्माण कार्य करना (पैराग्राफ XI.84);
- प्रमुख परियोजनाओं के भूखंडो की निगरानी हेतु उद्यम परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन के लिए प्रयोक्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) से उत्पादन वातावरण में अंतरण करना (पैराग्राफ XI.85);
- *उत्कर्ष* डेटा के ऑनलाइन समेकन और विश्लेषण के लिए ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म को लागू करना और अन्य हरित पहल और ऊर्जा/ जल लेखापरीक्षा पर जानकारी क्षेत्रीय कार्यालय भूखंडों से प्राप्त करना (पैराग्राफ XI.85);
- हरित पहल के साथ कार्य जारी रखना (पैराग्राफ XI.86)।

कार्यान्वयन की स्थिति

XI.83 वर्ष 2021-22 में विकास विजन से प्रेरित था क्योंकि विभाग ने इन क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास किया। *उत्कर्ष* के तहत निर्धारित कई लक्ष्यों को विभाग ने प्राप्त कर लिया। कम-से-कम दो मौजूदा कार्यालय भवनों और सात मौजूदा आवासीय भवनों के लिए जनवरी 2022 तक गृह जीआरआईएचए/ आईजीबीसी[6] से संबन्धित ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने के लक्ष्य के विपरीत कुल तीन कार्यालय भवनों और आठ

[6] ग्रीन रेटिंग फॉर इंटेग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट (जीआरआईएचए)/ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल (आईजीबीसी)।

आवासीय भवनों के लिए जनवरी 2021 से जनवरी 2022 के दौरान आईजीबीसी से ग्रीन रेटिंग प्राप्त हुई है। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक के सभी परिसरों द्वारा आधार वर्ष (जून 2018 को समाप्त वर्ष) के 4.5 प्रतिशत अक्षय स्रोतों से बिजली की खपत प्राप्त करने के लक्ष्य के मुकाबले जनवरी 2022 तक अक्षय स्रोतों से कुल ऊर्जा उत्पादन 5.52 प्रतिशत था। रिज़र्व बैंक ने जून 2018 को समाप्त आधार वर्ष की वार्षिक खपत की तुलना में जनवरी 2022 तक 3.5 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 22.67 प्रतिशत की ऊर्जा बचत हासिल की। जून 2018 को समाप्त आधार वर्ष और इसके 7.5 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में जनवरी 2022 (वर्ष-दर-वर्ष) में जल संरक्षण/बचत 24.0 प्रतिशत रही। ऊर्जा की बचत और जल संरक्षण में वृद्धि भी कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रेरित स्थानीय और क्षेत्र-विशिष्ट के कंटेनमेंट उपायों की वजह से सीमित कार्य अवधि के कारण थी।

XI.84 चेन्नै (अन्ना नगर) में आवासीय परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया और दिल्ली (हौज खास) परियोजना के चार आवासीय टावरों के लिए अधियोग प्रमाणपत्र प्राप्त हो गया है तथा इनमें से दो टावरों का कब्जा लेकर आबंटन के लिए दे दिया गया। मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-आंचलिक प्रशिक्षण केंद्र परियोजना के निर्माण कार्य के लिए स्थानीय प्राधिकारियों से अनुमति प्राप्त हो गई है। रायपुर कार्यालय भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है तथा रांची एवं शिलांग कार्यालय के भूखंडों पर निर्माण कार्य आबंटित कर दिया गया है। देहरादून आवासीय परियोजना 2022-23 में शुरू हो जाएगी क्योंकि आयोजना सहित जमीन संबंधी अधिकतर काम हो चुका है। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से प्रेरित प्रतिबंधों के कारण कुछ परियोजनाओं की प्रगति बाधित हुई है।

XI.85 एंटरप्राइज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के साथ-साथ ग्रीन (नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन, ऊर्जा संरक्षण और *नीर* संरक्षण) प्लेटफॉर्म कार्यान्वयन उत्पादन पर्यावरण मोड में काम कर रहा है और अंतिम उपयोगकर्ताओं का प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। पारिस्थितिकी तंत्र के सितंबर 2022 के अंत तक स्थिर होने की उम्मीद है।

XI.86 हरित पहल (*उत्कर्ष* के तहत लक्षित के अलावा) के हिस्से के रूप में रिज़र्व बैंक विभिन्न कार्यालयों और आवासीय कॉलोनियों में स्थापित सौर ऊर्जा संयंत्रों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है। अप्रैल 2021-मार्च 2022 के दौरान 2 कार्यालयों और 7 आवासीय परिसरों में सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए। इसके परिणामस्वरूप मार्च 2022 के अंत तक 28 कार्यालय परिसरों और 51 आवासीय परिसरों में ऐसे सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित हुए, जिससे मार्च 2021 के सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता 2504 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) से बढ़कर मार्च 2022 में 3150 केडब्ल्यूपी (किलोवाट पीक) हो गया। जल संसाधनों के संरक्षण और कुशल प्रबंधन के लिए 20 कार्यालयों और 47 आवासीय भवनों वर्षा जल संचयन प्रणाली और 4 कार्यालयों और 12 आवासीय भवनों में सीवेज उपचार संयंत्रों को स्थापित किया गया। जैविक अपशिष्ट परिवर्तकों को 14 कार्यालयों और 52 आवासीय परिसरों में स्थापित किया गया है।

प्रमुख गतिविधियां

निर्माण गतिविधियां

XI.87 मुंबई में उच्चस्तरीय वित्तीय अनुसंधान तथा अध्ययन केंद्र (कैफरल) संस्था की इमारत की संरचना पूरी हो चुकी है। शेष संरचना कार्य (यांत्रिक, विद्युत और नलसाजी) और परिसज्जन कार्य प्रगति पर है।

अन्य नवोन्मेषी कार्य

XI.88 भुवनेश्वर में रिज़र्व बैंक के लिए ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है। मुंबई में अतिरिक्त कार्यालय परिसर पट्टे पर लिए गए हैं।

XI.89 सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अचल संपत्तियों की टैगिंग और मिलान के लिए आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन) तकनीक को अपनाने का काम पूरा कर लिया गया। 22 केंद्रीय कार्यालय विभागों ने भी आरएफआईडी टैगिंग और मिलान का कार्य मार्च 2022 के अंत तक पूरा कर लिया है।

XI.90 वर्ष के दौरान, केंका, क्षेका और प्रसं द्वारा 679 ई-निविदाएं जारी की गईं। वर्तमान में एमएसटीसी पोर्टल का उपयोग करते हुए ई-निविदा के माध्यम से ₹5 लाख से अधिक की निविदाएं आमंत्रित की जा रही हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए कार्ययोजना

XI.91 वर्ष 2022-23 के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- *उत्कर्ष* 2022 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना;
- कैफरल और देहरादून कार्यालय परियोजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण करना;
- रांची और शिलांग कार्यालय भूखंडों पर चारदीवारी निर्माण कार्य पूर्ण करना;
- देहरादून में आवासीय परिसर का निर्माण शुरू करना;
- केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादित करना और पणजी में कार्यालय भवन परियोजना शुरू करने के लिए कार्य करना;
- सीपीडब्ल्यूडी के साथ समझौता ज्ञापन निष्पादन कार्य पूर्ण करना और मुंबई में चकाला, मलाड फेज I तथा तपोवन में आवासीय परिसर के लिए कार्य करना;
- नया रायपुर में कार्यालय परिसर और मुंबई (खारघर) में आवासीय-सह-जेडटीसी परियोजना के निर्माण को आगे बढ़ाना;
- प्रमुख परियोजनाओं की निगरानी के लिए एंटरप्राईज परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के कार्यान्वयन को मजबूत और स्थिर करना; और
- *उत्कर्ष* डेटा के ऑनलाइन समेकन एवं विश्लेषण के लिए और क्षेत्रीय कार्यालयों से प्राप्त अन्य हरित पहल एवं ऊर्जा/ जल लेखापरीक्षा संबंधी जानकारी के लिए ग्रीन डेटा प्लेटफॉर्म को मजबूत और स्थिर करना।

9. निष्कर्ष

XI.92 संक्षेप में, यह अध्याय रिज़र्व बैंक में अभिशासन तथा मानव संसाधन के क्षेत्रों से संबंधित गतिविधियों और जोखिम निगरानी और आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों का संक्षिप्त विवरण देता है। मानव संसाधन को भर्ती और ऑनलाइन और ई-लर्निंग मोड का व्यापक प्रयोग करते हुए आंतरिक और बाहरी प्रशिक्षण के माध्यम से मजबूत किया गया। राजभाषा विभाग द्वारा भारत सरकार के राजभाषा अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया गया, वहीं परिसर विभाग ने पर्यावरण अनुकूल भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करने के अपने प्रयास जारी रखें। विभागों ने वर्ष के लिए निर्धारित अपने लक्ष्यों का मूल्यांकन किया तथा वर्ष 2022-23 के लिए अपनी कार्ययोजना निर्धारित की है। रिज़र्व बैंक ने महामारी से उत्पन्न वातावरण में महत्वपूर्ण कारोबार प्रक्रियाओं को सुरक्षित करने, वित्तीय प्रणाली में कारोबार निरंतरता सुनिश्चित करने के साथ-साथ अपने मानव संसाधनों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुरक्षित करने के लिए तेजी से और व्यापक रूप से कार्य किया है।

अनुबंध

सारणी XI.1: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान केंद्रीय निदेशक मंडल की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 (धारा) के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
शक्तिकांत दास	8(1)(ए)	6	6
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	6	6
माइकल देवव्रत पात्र	8(1)(ए)	6	6
एम. राजेश्वर राव	8(1)(ए)	6	6
टी. रबी शंकर*	8(1)(ए)	6	6
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	6	5
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	6	6
नटराजन चंद्रशेखरन#	8(1)(सी)	5	3
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	6	6
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	6	6
देबाशीष पांडा^	8(1)(डी)	4	4
अजय सेठ	8(1)(डी)	6	5
संजय मल्होत्रा$	8(1)(डी)	1	1

*: 3 मई 2021 से उप गवर्नर ^: 31 जनवरी 2022 तक निदेशक
$: 16 फरवरी 2022 से निदेशक #: 3 मार्च 2022 तक निदेशक.

सारणी XI.2: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान केंद्रीय बोर्ड की समितियों की बैठक में उपस्थिति

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 (धारा) के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
I. केंद्रीय बोर्ड की समिति (सीसीबी)			
शक्तिकांत दास	8(1)(ए)	46	45
महेश कुमार जैन	8(1)(ए)	46	43
माइकल देवव्रत पात्र	8(1)(ए)	46	42
एम. राजेश्वर राव	8(1)(ए)	46	45
टी. रबी शंकर*	8(1)(ए)	42	41
रेवती अय्यर	8(1)(बी)	27	27
सचिन चतुर्वेदी	8(1)(बी)	28	28
नटराजन चंद्रशेखरन#	8(1)(सी)	24	10
सतीश काशीनाथ मराठे	8(1)(सी)	26	26
स्वामीनाथन गुरुमूर्ति	8(1)(सी)	24	07
तरुण बजाज^	8(1)(डी)	02	02
अजय सेठ	8(1)(डी)	28	28

^: 23 अप्रैल 2021 तक निदेशक *: 3 मई 2021 से उप गवर्नर

#: 3 मार्च 2022 तक निदेशक.

II. वित्तीय पर्यवेक्षण बोर्ड (बीएफएस)			
शक्तिकांत दास	अध्यक्ष	12	12
महेश कुमार जैन	उपाध्यक्ष	12	12
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	12	10
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	12	10
टी. रबी शंकर*	सदस्य	11	11
सतीश काशीनाथ मराठे	सदस्य	12	11
सचिन चतुर्वेदी	सदस्य	12	10

*: 3 मई 2021 से उप गवर्नर

III. भुगतान और निपटान प्रणाली के विनियमन और पर्यवेक्षण बोर्ड (बीपीएसएस)			
शक्तिकांत दास	अध्यक्ष	1	1
टी. रबी शंकर*	उपाध्यक्ष	1	1
महेश कुमार जैन	सदस्य	1	1
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	1	1
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	1	1
नटराजन चंद्रशेखरन#	सदस्य	1	1
सचिन चतुर्वेदी$	सदस्य	1	1

*: 3 मई 2021 से उप गवर्नर $: 27 सितंबर, 2021 से सदस्य #: 3 मार्च 2022 तक निदेशक

सारणी XI.3: बोर्ड की उप-समितियों की बैठक में उपस्थिति
1 अप्रैल, 2021 - 31 मार्च, 2022

सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
लेखापरीक्षा और जोखिम प्रबंधन उप-समिति (एआरएमएस)			
रेवती अय्यर	अध्यक्ष	7	7
श्री सतीश के. मराठे #	सदस्य	4	4
एम. राजेश्वर राव	सदस्य	7	7

#: 27 सितंबर 2021 से सदस्य के रूप में नामित

II. भवन उप-समिति (बीएससी)			
सतीश के. मराठे	अध्यक्ष	1	1

III. मानव संसाधन प्रबंध उप-समिति (एचआरएम-एससी)			
एन. चंद्रशेखरन*	अध्यक्ष	-	-

*: 27 सितंबर, 2021 से 3 मार्च, 2022 तक अध्यक्ष के रूप में नामित

IV. सूचना प्रौद्योगिकी उप-समिति (आईटी-एससी)			
सचिन चतुर्वेदी	अध्यक्ष	2	2
रेवती अय्यर#	सदस्य	2	1

#: 27 सितंबर, 2021 से सदस्य के रूप में नामित

V. कार्यनीति उप-समिति (एस-एससी)			
नटराजन चंद्रशेखरन*	अध्यक्ष	-	-
रेवती अय्यर#	सदस्य	1	1
माइकल देवव्रत पात्र	सदस्य	1	1

*: 27 सितंबर, 2021 से 3 मार्च, 2022 तक अध्यक्ष के रूप में नामित
: 8 जुलाई 2021 को आयोजित बैठक के अध्यक्ष

सारणी XI.4: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान स्थानीय बोर्ड बैठकों में उपस्थिति			
सदस्य का नाम	आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत नियुक्त/नामित	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3	4
रेवती अय्यर, एन ए एल बी	धारा 9(1)	4	4
आर एन दुबे, एन ए एल बी	धारा 9(1)	4	4

एनएएलबी: उत्तरी क्षेत्र स्थानीय बोर्ड

सारणी XI.5: 1 अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 के दौरान स्थानीय बोर्ड के स्थान पर केंद्रीय निदेशक मंडल की स्थायी समिति की बैठक में उपस्थिति		
सदस्य का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया
1	2	3
रेवती अय्यर	7	7
सतीश काशीनाथ मराठे	7	7

नोट: पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए दो-दो बैठकें और पश्चिमी क्षेत्र के लिए तीन बैठकें आयोजित की गईं।